उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-11/2021/501/78-1-2021/50आई0टी0/2015
लखनऊ, दिनांक 19 मार्च,2021

शुद्धि-पत्र

आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-255/78-1-2021-50आई0टी0/2015 , दिनांक 18-02-2021 के साथ संलग्न फार्म-बी0एम0-9(भाग-1) संख्या-225(ii)/78-1-2021-50आई0टी0/2015, द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय के कार्यों के सम्पादन हेतु कन्सल्टेण्ट संस्था को देय शुल्क के भुगतान हेतु धनराशि रू0 62, 60,500/- (रूपये बासठ लाख, साठ हजार, पॉच सौ मात्र) की पुर्नविनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, किन्तु त्रुटिवश उक्त शासनादेश दिनांक 18-2-2021 के विषय एवं प्रस्तर-2 में वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 62, 60,500/- (रूपये बासठ लाख, साठ हजार, पॉच सौ मात्र) के स्थान पर धनराशि रू0 62, 60,591/- (रूपये बासठ लाख, साठ हजार, पॉच सौ इक्यानवे मात्र) टंकित हो गयी है।

अत: उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18-02- 2021 में उल्लिखित धनराशि रू0 62, 60,591/- (रूपये बासठ लाख, साठ हजार, पॉच सौ इक्यानवे मात्र) के स्थान पर धनराशि रू0 62, 60,500/- (रूपये बासठ लाख, साठ हजार, पॉच सौ मात्र) पढा जाये। उक्त शासनादेश दिनांक 18-02-2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

कुमार विनीत
विशेष सचिव।

संख्या- 11/2021/501 (1)/78-1-2021 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उद्योग निदेशक, कानपुर, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त् निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेंस-1 डिवीजन व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योगअनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in